(15)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

...न संख्या 85/2021
...न सिंह पुत्र नानूराम, जाति जाट, निवासी माकडो, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनूं।
———प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (जी0ए0) जिला कलक्टर, जिला झुंझुनूं।
——अप्रार्थीगण

...र्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन पिकअप नम्बर आर0जे0 18 जीए 5214 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 122/2021
पुलिस थाना सिंघाना अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट

...स्थितः—
1. श्री परिवेश कुमार, एडवोकेट—प्रार्थी की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक—राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 02.06.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त ...हन पुलिस थाना सिंघाना मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2021 पुलिस थाना सिंघाना मे अ0धा0 3/7 ...वश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त है जिसको अपनी सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। उक्त वाहन खडा रहने से ...सके खराब होने की संभावना है। पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। प्रकरण की जांच मे ...मय लगने की संभावनला है। प्रार्थी की आय का एकमात्र साघन उक्त वाहन ही है। प्रार्थी न्यायालय के ...देशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनाता पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि ...र्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडी ने अपने पत्रांक 2765 दिनांक 30.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिसके अनुसार दिनांक 30.04.2021 को श्री विजय कुमार आरपीएस वृताधिकारी वृत्त खेतडी हाल अतिरिक्त चार्ज वृत्ताधिकारी वृत्त बुहाना ने फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी मुलजीम व चैक लिस्ट धारा 41 सीआरपीसी के इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 30.04.2021 को मन वृत्ताधिकारी के पास वृत्त बुहाना का अतिरिक्त चार्ज होने पर मन वृत्ताधिकारी विजय कुमार आरपीएस मय सरकारी वाहन नं0 आरजे 18 यूबी 4814 चालक यशपाल 1075 के वक्त 8.20 ए0एम0 पर राजकार्य एवं गश्त हेतु खेतडी से रवाना होकर गश्त करता हुआ समय 8.30 ए0एम0 पर खेतडी नगर पहुंचा तो वक्त 8.40 ए0एम0 पर श्री संजय शर्मा पु0नि0 थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना ने सूचना दी कि एक पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीए 5214 जो हरियाणा से अवैध डीजल लेकर सिंघाना की तरफ आ रही है इस इतला पर मन वृत्ताधिकारी मय सरकारी वाहन चालक के खेतडी नगर से रवाना होकर चक्करपाणी होस्पिटल सिंघाना के पास समय 8.50 ए0एम0 पर पहुंचा तो थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना मय जाप्ता श्री अजय कुमार कानि0 284 व मोहन सिंह कानि0 191 मय सरकारी गाडी टीयूीव नम्बर आरजे 18 यूबी 3601 व चिडावा से पूर्व से हस्ब तलविदा डीएसटी जाब्ता श्री हरिराम एचसी 2540 व मनोज कुमार कानि0 1399 के मौजूद मिले तो वहां पर एक पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीए 5214 आती हुई दिखाई दी जिसको मन वृत्ताधिकारी मय जाप्ता ने रोककर चैक किया तो पिकअप गाडी मे कुल 7 प्लास्टिक के बडे नीले रंग के ड्रम व 6 छोटे ड्रम प्लास्टिक

जिला कलक्टर झुंझुनूं

रखे हुए थे जिनमे डीजल भरा हुआ था इस पर मन वृत्ताध्किारी ने पिकअप गाडी चालक से नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम विक्रम सिंह पुत्र श्री नानूराम, जाति जाट, निवासी माकडो पुलिस थाना सिंघाना जिला झुंझुनूं होना बताया जो हरियाणा से कम दाम मे खरीद कर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए परिवहन करना बताया उक्त चालक को अवैध रूप से डीजल परिवहन करने लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र बाबत पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र नही होना बताया। कार्यवाही व निरीक्षण हेतु आस–पास से स्वतंत्र मोतबीर तलब किये, लेकिन कोई मौतबीर मामूर नही बनने पर हमराही जाप्ता मे से ही श्री अजय कुमार कानि0 284 व श्री मोहन सिंह कानि0 191 को मौतबीर मामूर कर निरीक्षण किया गया तो 7 बडे नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम जिनमे प्रत्येक मे 200–200 लीटर डीजल भरा हुआ तथा 6 प्लास्टिक के ड्रम जिनमे एक ड्रम सलेटी रंग व एक ड्रम पीले रंग का जिनमे 50–50 लीटर व 2 प्लास्टिक के ड्रम नीले रंग व 2 प्लास्टिक के ड्रम हरे रंग के जिनमे 60–60 लीटर डीजल भरा हुआ है इस तरह से कुल 13 प्लास्टिक के छोटे व बडे ड्रमों मे कुल 1740 लीटर डीजल भरा हुआ है। शक्स मजकूरान के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स के हरियाणा से डीजल अवैध रूप से परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराध की श्रेणी मे आना पाये जाने पर 13 प्लास्टिक के छोटे–बडे ड्रमों को पिकअप गाडी सहित कब्जा पुलिस मे लिये जाकर मुल्जिम विक्रम सिंह को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जा रहा है इत्यादि पर प्रकरण संख्या 122/21 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे दर्ज कर तफ्तीश मन संजय शर्मा पु0नि0 थानाधिकारी थाना संघाना के जुम्मे किया गया। मुकदमा हाजा मे दौराने अनुसंधान बयानात गवाहान धारा 161 दप्रसं0 मे लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किये गये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मय हालात मौका मूर्तिब किया गया। मुकदमा हाजा मे जब्त शुदा पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीए 5214 के रजिस्टर्ड मालिक को नोटिस दिया जाकर जबाब प्राप्त किया गया। गिरफ्तार शुदा मुल्जिम विक्रम सिंह से अनुसंधान किया जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मूर्तिब किया गया। मुकदमा हाजा मे अब तक की गई तफतीश हासला, बयानात गवाहान, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल, फर्द जब्ती अवैध डीजल, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम, चैक लिस्ट धारा 41 सीआरपीसी, जबाब नोटिस 133 एमवी एक्ट, फर्द जप्ती पिकअप गाडी की आरसी व चालक विक्रम सिंह का मूल डीएल व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुल्जिम विक्रम सिंह पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी माकडों पुलिस थाना सिंघाना जिला झुंझुनूं के विरूद्व जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित पाया गया है। मुकदमा हाजा मे जब्तशुदा पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीए 5214 को सुपुर्दगी पर दी जाती है तो थाना हाजा को कोई आपत्ति नही है। तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामे अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि जप्तशुदा उपरोक्त वाहन पुलिस थाना सिंघाना मे खडा–खडा खराब होने की संभावना है। उक्त वाहन खडा रहने से उसके खराब होने की संभावना है। पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। प्रकरण की जांच मे समय लगने की संभावनला है। प्रार्थी की आय का एकमात्र साघन उक्त वाहन ही है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनाता पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 122/2021 पुलिस थाना सिंघाना में अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट में जप्त है। प्रार्थी द्वारा पिकअप सं0 आर0जे0 18 जीए 5214 का उपयोग अवैध रूप से (7 बडे नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम जिनमे प्रत्येक मे 200–200 लीटर), (6 प्लास्टिक के ड्रम जिनमे एक ड्रम सलेटी रंग व एक ड्रम पीले रंग का जिनमे 50–50 लीटर व 2 प्लास्टिक के ड्रम नीले रंग व 2 प्लास्टिक के ड्रम हरे रंग के जिनमे 60–60 लीटर डीजल भरा हुआ है) इस तरह से कुल 13 प्लास्टिक के छोटे व बडे ड्रमों मे कुल 1740 लीटर डीजल भरा हुआ है जो कि बिक्री के उद्देश्य से हरियाणा से लाया जा रहा था के लिए किया है जो कि ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

R

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

17

मने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन न पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार से है

रण मे डीजल हरियाणा से लाया गया है। जप्त डीजल की मात्रा 1740 लीटर है। इतनी मात्रा हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने लिए डीजल वहां से लाकर बेचने हेतु लाया जा रहा था।

प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। डीजल छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना तथा जप्त वाहन संख्या आरजे 18 जीए 5214 सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित समझते है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 1740 लीटर (7 बडे नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम जिनमे प्रत्येक मे 200–200 लीटर डीजल) तथा (6 प्लास्टिक के ड्रम जिनमे एक ड्रम सलेटी रंग व एक ड्रम पीले रंग का जिनमे 50–50 लीटर व 2 प्लास्टिक के ड्रम नीले रंग व 2 प्लास्टिक के ड्रम हरे रंग के जिनमे 60–60 लीटर डीजल भरा हुआ है) का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें जो जमा राशि एफ.आई.आर. 122/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अध्ययधीन रहेगी तथा जप्त वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीए 5214 को 03–03 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.06.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/06/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं